भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 701
26 जुलाई, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी

701. श्री बृजमोहन अग्रवाल:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सकों की पर्याप्त संख्या हेतु कोई मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने छत्तीसगढ़ सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं, चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी की समस्याओं के समाधान के लिए कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, जुलाई, 2024 की स्थिति के अनुसार राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) में 13,86,136 एलोपैथिक चिकित्सक पंजीकृत हैं। पंजीकृत एलोपैथिक चिकित्सकों और 5.65 लाख आयुष चिकित्सकों की 80% उपलब्धता मानते हुए देश में चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात 1:836 है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के 1:1000 के मानक से बेहतर है। इसके अतिरिक्त, भारतीय उपचर्या परिषद के अनुसार देश में लगभग 38.49 लाख पंजीकृत नर्सिंग कार्मिक हैं।

सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई है और इसके बाद एमबीबीएस की सीटें बढ़ा दी हैं। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2014 से पहले 387 थी जो 88% की वृद्धि से अब 731 हो गई है। इसके अलावा, एमबीबीएस सीटों

में 118% की वृद्धि हुई है, जो 2014 से पहले 51,348 थी, अब तक 1,12,112 हो गई है और पीजी सीटों में 133% की वृद्धि हुई है, जो 2014 से पहले 31,185 थी, जो अब 72,627 हो गई है।

देश में चिकित्सक/चिकित्सा पेशेवरों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों/कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- जिला/रेफरल अस्पताल के उन्नयन द्वारा नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना जिसके अंतर्गत अनुमोदित 157 नए मेडिकल कॉलेजों में से 109 नए मेडिकल कॉलेज पहले से ही कार्य कर रहे हैं जिनमें छतीसगढ़ राज्य में 5 मेडिकल कॉलेज भी शामिल है।

- एमबीबीएस और स्नातकोत्तर सीटों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण/उन्नयन हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना।

- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) योजना के "सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉकों के निर्माण द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन" के अंतर्गत कुल 75 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं जिनमें से 66 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

- नए एम्स की स्थापना के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना के तहत 22 एम्स अनुमोदित किए गए हैं। इनमें से 19 में स्नातक पाठ्यक्रम शुरू हो चुके हैं।

- फैकल्टी की कमी को पूरा करने के लिए फैकल्टी के रूप में नियुक्ति हेतु डीएनबी अर्हता को मान्यता दी गई है।

- मेडिकल कालेजों में शिक्षकों/डीन/प्रधानाचार्य/निदेशक के पदों पर नियुक्ति/सेवाकाल बढ़ाने/पुन:रोजगार के लिए आयु सीमा को 70 वर्ष तक बढ़ाया जाना।

देश में नर्सिंग कर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए, सरकार ने 2023-24 के बजट भाषण में छत्तीसगढ़ राज्य में 5 नर्सिंग कॉलेजों सहित देश में 157 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की घोषणा की है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) के माध्यम से उप स्वास्थ्य केन्द्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) को सुदृढ़ करके व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान की जाती है। ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं, संचारी रोगों, गैर-संचारी रोगों और अन्य स्वास्थ्य मुद्दों सहित सेवाओं के विस्तारित क्षेत्र के लिए निवारक, संवर्धनात्मक, पुनर्वास और उपचारात्मक देखभाल प्रदान करते हैं। जैसा कि एएएम पोर्टल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किया गया है, 30 जून, 2024 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 1,73,410 आयुष्मान आरोग्य मंदिर कार्यशील हो गए हैं।

*****